संचिका संख्या 14/विविध-104/2002-3800 (14)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य चि०शि० एवं प०क० विभाग

संकल्प

विषय : राज्य के सेवी वर्ग को इन्ट्रा ऑकुलर लेंस इम्पलान्ट एवं संबंधित शल्य चिकित्सा के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम प्रतिपूर्ति योग्य राशि का निर्धारण

आँख के रोगियों के द्वारा इन्ट्र ऑकुलर लेंस लगाये जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग में जो प्रस्ताव आ रहे थे उसमें लेंस की दर की भिन्नता के कारण प्रतिपूर्ति की राशि में एकरूपता का अभावा पाया जा रहा है। फलस्वरूप लेंस की कीमत का निर्धारण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

2. सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों, राज्य सम्पोषित अस्पतालों एवं राज्य के बाहर अनुमति प्राप्त अस्पतालों में नेत्र रोग के लिए कराई गई अन्तर्वासी चिकित्सा से क्रम में इन्ट्रा ऑकुलर लेंस (फोल्डेड एवं अनफोल्डेड) इम्पलान्टेशन के लिए अधिकतम 5000/- (पाँच हजार) रुपये अनुमान्य होगा एवं शल्य चिकित्सा में होने वाले व्यय जो अनुमान्य हो, दिया जाएगा। परंतु लेंस एवं चिकित्सा दोनों पर होनेवाले व्यय की अधिकतम सीमा मात्र 10,000/- (दस हजार) रुपये निर्धारित की जाती है।

3. इसमें मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि संकल्प बिहार गजट के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय तथा उसकी प्रतियाँ सभी सम्बद्ध पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित की जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सी०के० अनिल)
सरकार के अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-14/विविध-104/2002/3800 (14) **स्वा०, पटना, दिनांक-10.12.03**

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 2000 (दो हजार प्रतियाँ) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

ज्ञापांक-14/विविध-104/2002/3800 (14) **स्वा०, पटना, दिनांक-10.12.03**

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, राज्य के सभी कोषागार (उप कोषागार सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।